

The Proctor
King George's Medical University
Lucknow

Date - 30-11-2019

Respected Sir,

Subject : Regarding ~~misbehaviour~~ misbehaviour again.

This is to bring to your notice that ~~Dr. Vishakha~~ has been trying to contact me repeatedly since this morning of 30/11/2019. He is calling and messaging me ^(sending obscene messages) again and again despite resistance. This is creating problem for me and mentally torturing me. Kindly take action on your behalf.

~~to-206/PHU (Camp) 19~~ is still coming to the library and reading room
06/12/19, Please arrange for a meeting in my room on 10/12/19 at 12.00 noon
I would be highly obliged
No - 1228/40/19
30/11/19

Yours sincerely
Dr. Vallin Narang
Intern (MBBS-2014)

Vallin
30/11/2019

Vishakha Committee
KGMU

30/11/2019
4.20 PM.





King George's. Medical University Uttar Pradesh, Lucknow - 226003

Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.:/ICSHWW/2020

Date: 24/01/2020

कार्यवृत्त


विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग/अध्यक्ष महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ, ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-206/पी0एच0वाई0(कैम्प)/19 दिनांक-06/12/2019 के द्वारा सूचित किया है कि एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न 2012 बैच ने कु0 वलिना नारंग एम0बी0बी0एस0 2014 बैच की छात्रा के साथ अर्मयादित व्यवहार एवं अभद्रता की गयी जिसकी लिखित शिकायत कर आरोप लगाया है। उक्त प्रकरण की जाँच हेतु अध्यक्ष, महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ कार्यालय पत्र संख्या-64/वि0क0/2020 दिनांक-23/01/2020 के तहत प्रो0 सुनीता तिवारी, अध्यक्ष (महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ) की अध्यक्षता में दिनांक-24/01/2020 को अपराह्न: 12:00 बजे पुनः विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग के कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।


- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. प्रो0 सुनीता तिवारी | (अध्यक्ष) |
| 2. प्रो0 नरसिंह वर्मा | (सदस्य) |
| 3. प्रो0 आर0ए0एस0 कुशवाहा | (सदस्य/संयोजक) |
| 4. प्रो0 समीर मिश्रा | (सदस्य) |
| 5. प्रो0 रेखा सचान | (सदस्य) |
| 6. डा0 चन्द्रकान्ता | (सदस्य) |


निम्नलिखित सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायीं।

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. प्रो0 अनुराधा निश्चल | (सदस्य) |
| 2. प्रो0 सुजाता | (सदस्य) |
| 3. प्रो0 विभा सिंह | (सदस्य) |
| 4. डा0 स्वेता सिंह | (सदस्य) |
| 5. श्रीमती उषा अवस्थी | (सदस्य) |


जाँच कमेटी के समक्ष [redacted] उपस्थित होकर अपना लिखित एवं मौखिक बयान दिया जिसके उपरान्त कमेटी सदस्यों ने डा0 अंकुश कुमार को कठोर चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए रु0-10,000/- (दस हज़ार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति करती है।



प्रो0 सुनीता तिवारी
(अध्यक्ष)


प्रो0 नरसिंह वर्मा
(सदस्य)


प्रो0 आर0ए0एस0 कुशवाहा
(सदस्य/संयोजक)

प्रो0 समीर मिश्रा
(सदस्य)


प्रो0 रेखा सचान
(सदस्य)


डा0 चन्द्रकान्ता
(सदस्य)